BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 26 of 2025

<u>IN THE MATTER OF</u>:

CHANDRA PAL SINGH …APPLICANT

Versus

STATE OF UP & Ors. …. RESPONDENTS

NDOH : 30.01.2026

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuance to the order dated 06.05.2025 passed by the this Hon'ble Court	**1-2**
2	**ANNEXURE U/1 (Colly):** A true copy of the rent agreement is enclosed with the inspection report dated 19.01.2026	**3-10**

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through

Amit Shukla
Advocate for the UPPCB
Office at : D-54, Sector-48, NOIDA – 201303
Email: amitshukla@lexweb.in
Mob. No. , 9999933220, 9999333220

Place: New Delhi
Date: 23.01.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 26/2025

IN THE MATTER OF:

CHANDRA PAL SINGH

Versus

STATE OF UP& Ors ....RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARDIN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 06.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Dev Kumar Gupta aged about 58 years, S/o Sri Bibhuti Prasad Gupta, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (herein after UPPCB), Moradabad do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.

2. That officials of UPPCB again conducted the site inspection of M/s Chand Brick field, Village – Khata Chintaman, Tehsil Milak, District Rampur on 02.01.2026when the brick kiln was found closed.

3. That the premises in question was taken on rent by the Project Proponentin the year 2014 for the period of 10 years. A true copy of the rent agreement is enclosed with the inspection report ***is annexed herewith and marked as Annexure U/1 (Colly).***

4. That in order to ascertain the period of violation, the board has vide its letter dated 06.01.2026 sought information regarding submission of mining fee by the Project Proponent. The Mining Office has vide its letter dated 14.11.2026 apprised the Board that the Project Proponent submitted the fee for the first time on 26.02.2016.

It is submitted that the Project Proponent has never obtained any permissions / CTE / CTO from the Board and has been operating without environment permissions.

Notary Public
Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Reg. No. 5493
Moradabad

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Moradabad on this 23rd day of January, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Solemnly affirmed before me by Sri/Smt./Km. Dev Kumar Gupta deponent who is identified by Sri/Smt./Km. .... Clerk of Sri/Smt./Km. .... Advocate on 2026

I have satisfied myself after examining the deponent That he/she under stood the contents of the affidavit and the same has been read over & explained by me.
Recd. Rs. as fees

Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate 23/01/2026
Regd. No. 5493
Moradabad

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या: 100/N-13/26/25/जनरल दिनांक: 19.01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 29.10.2025 को आदेश पारित किये गये है, जो निम्नवत् हैं –

"1. Learned Counsel appearing for the UPPCB seeks a week's time to examine and point out the consent and compliance status of the Respondent – Brick Kiln when the accident had taken place.
2. List on 30.01.2026."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने वाली आख्या/प्रतिउत्तर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक– यथोपरि।

19.01.26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपिः मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के संबंध में आख्या –</u>

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 29.10.2025 को आदेश पारित किये गये है, जो निम्नवत् हैं –

"1. Learned Counsel appearing for the UPPCB seeks a week's time to examine and point out the consent and compliance status of the Respondent – Brick Kiln when the accident had taken place.
2. List on 30.01.2026."

उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्ठा मेसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम –खाता चिन्तामन, थाना –मिलक, जनपद –रामपुर का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 02.01.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थल पर ईट भट्ठा मालिक/प्रोपराइटर अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही था। निरीक्षण के दौरान परिवर्तित हुये तथ्यों एवं कार्यालय अभिलेखानुसार आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के दौरान उक्त संदर्भित ईट भट्ठा मैसर्स चॉंद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, थाना मिलक, जनपद रामपुर पर अक्षांश 28.680756, देशान्तर 79.154813 पर स्थापित है। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया तथा लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

AEE 2025-26

Chandrika
JE

A.E.E.

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे द्वारा स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थापनार्थ सहमति एवं संचालन हेतु संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठा स्थल गाटा सं0 334, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर के स्वामी श्री इन्द्र खाँ पुत्र मो0 हुसेन खाँ, निवासी ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर द्वारा शपथपत्र दिनांक 20.02.2025 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से शपथपूर्वक बयान किये गये हैं कि ईट भट्ठे का संचालन विगत 01 वर्ष 06 माह से बन्द है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार श्री इन्द्र खाँ पुत्र मो0 हुसेन खाँ, निवासी ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर द्वारा उक्त ईट भट्ठे के स्थल गाटा सं0 334 (रकबा 1.0800 है0) को श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री हाजी अब्दुल सत्तार व मो0 शरीफ पुत्र श्री अहसान करीम, निवासी ग्राम शीशगढ़, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली को वर्ष 2014 में भट्ठे की स्थापना कर संचालन करने हेतु 10 वर्षों की अवधि हेतु किराये पर दिया गया था, इस संबंध में श्री इन्द्र खॉ द्वारा दिनांक 10.03.2025 को नोटराइज्ड शपथ पत्र दिया गया है **(छायाप्रति संलग्नक–01 पर संलग्न है)।** घटित घटना माह जुलाई, 2023 के दौरान भी ईट भट्ठे का संचालन श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री हाजी अब्दुल सत्तार व मो0 शरीफ पुत्र श्री अहसान करीम, निवासी ग्राम शीशगढ़, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली द्वारा किया जा रहा था।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे का पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 19.01.2024 के दौरान ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित "ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 27 जून, 2012 की उपविधियों के अनुरूप न होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 105/सी–9/रामपुर दिनांक 23.01.2024 द्वारा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित संस्तुति के कम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 07022/सी–7/ए–2005/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा ईट भट्ठे के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उक्त ईट भट्ठे का पुनः किये गये निरीक्षण दिनांक 21.12.2024 के दौरान ईट भट्ठे को संचालन हेतु प्रयासरत पाये जाने के दृष्टिगत कार्यालय के पत्रांक 1571/सी–9/रामपुर दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित संस्तुति के कम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 24657/सी–7/ वायु–2005/2024–25 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है, **बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्नक–02 पर संलग्न है।**
7. उक्त प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), रामपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में उपजिलाधिकारी, तहसील मिलक, जनपद रामपुर, सहायक पर्यावरण अभियनता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद एवं खान अधिकारी, रामपुर की गठित संयुक्त जॉच समिति द्वारा उक्त संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 07.03.2025 को किया गया।
8. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन हेतु राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में उक्त ईट भट्ठे की लेखपाल रिंकू रानी, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री नासिर हुसैन खॉ, नायब तहसीलदार अर्चि गुप्ता व खनन अधिकारी, रामपुर के साथ ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर की संयुक्त जॉच आख्या दिनांक 15.07.2023 के अनुसार उक्त ग्राम के गाटा सं0 314, रकबा–1.0480 हे0 की स्थलीय जॉच में 154.377 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन पाया गया। उक्त के दृष्टिगत ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 एच 27789/सी–7/वायु–2005/24 दिनांक 02.05.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

AEE 2025-26

Chandrika
SE

A.E.E.

9. कार्यालय अभिलेखों में उक्त ईट भट्ठे का संचालन प्रारम्भ वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध न होने के कारण इस कार्यालय के पत्र सं0 23/एन–13/26/25/जनरल दिनांक 06.01.2026 द्वारा खान अधिकारी, रामपुर से उक्त ईट भटठे को प्रथम बार जारी खनन अनुज्ञा अथवा ईट भट्ठे द्वारा प्रथम बार खनन रायल्टी शुल्क जमा किये जानें के संबंध में सूचना चाही गयी थी। तत्क्रम में खान अधिकारी के पत्र सं0 19/ख0लि0–2026 दिनांक 14.01.2026 (**छायाप्रति संलग्नक–03 पर संलग्न**) द्वारा प्राप्त सूचनानुसार उक्त ईट भट्ठे द्वारा सत्र 2015–16 हेतु खनन विभाग में दिनांक 26.02.2016 को प्रथम बार विनियमन शुल्क जमा किया गया था।
10. कार्यालय अभिलेखानुसार घटना दिनांक 14.07.2023 को तत्समय उक्त संदर्भित ईट भट्ठे द्वारा राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी थी और न ही सहमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन ही किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने वाली आख्या/प्रतिउत्तर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Chandrika 19.01.2026
(चन्द्रिका दिवाकर)
अवर अभियन्ता

19/01/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

19.01.26

7

संलग्नक - 1

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP30708810006000X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP30708810006000X
Certificate Issued Date	: 10-Mar-2025 01:30 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14492204/ MILAK/ UP-RMP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP14492204748230880749474X
Purchased by	: INDRA KHAN SON OF MOHD HUSAIN
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: INDRA KHAN SON OF MOHD HUSAIN
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: INDRA KHAN SON OF MOHD HUSAIN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

NOTARIAL NOTARIAL

... PANDEY ... MILAK RAMPUR

समक्ष :- श्रीमान उपजिलाधिकारी मिलक जिला रामपुर

ब्यान हालिफ मिनजानिब इन्दर खाँ पुत्र मो0 हुसैन खाँ निवासी ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक ज़िला रामपुर निम्नलिखित शपथपूर्वक ब्यान दर्ज करता हूँ :-

1- यह कि हालिफ उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है।

2- यह कि मेरी आराजी गाटा सं0-334 रकवा-1.080 हे0 वाके ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक जिला रामपुर में है जिसमें हालिफ ने अपनी आराजी को (चॉद विक्र फील्ड) अब्दुल खालिक पुत्र अब्दुल सत्तार व मो0 शरीफ पुत्र एहसान करीम निवासी कस्बा शीशगढ़ तहसील मीरगंज जिला बरेली को किराये पर मु0 2,00,000/-रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दी थी।

3- यह कि हालिफ ने अपनी आराजी उपरोक्त को दिनांक 29-12-2014 से 28-12-2024 तक के लिए (10 वर्षो) किराये पर दी थी।

क्रमशः.......2

DEPONENT

हालिफ

Babu Ram Gangwar
Notary
Teh. Milak Distt. Rampur
60/05/85

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [illegible] or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(2)

4- यह कि उपरोक्त किरायेदार मुझे प्रत्येक वर्ष समय पर किराया देता था।

5- यह कि उपरोक्त गाटा संख्या-334 रकबा-1.080 हे0 पर किरायेदार ने चिमनी व गोदाम, सामान आदि लगाया जिसको वह भट्टा समाप्ति पर हटा देगा।

6- यह कि दिनांक 14-07-2023 को ग्राम जाफराबाद तहसील मिलक जिला रामपुर के दो बच्चे जाफराबाद मन्दिर के सामने पानी में डूब कर खाली की जमीन में मृत्यु हुई उस वर्ष बर्षा अधिक हुई थी जिससे पानी जमा हो गया था।

7- यह कि हालिफ ने अपनी आराजी को समय पूरा होने पर ले ली है।

8- यह कि हालिफ ने अपनी जमीन किराये वाली वापस ले ली है।

उपरोक्त मजमून शपथ पत्र मेरे इल्म व जाति से सही व सच है ना कुछ झूठ है न कुछ छिपाया गया है मैं अपने पूरे होश हवाश में उपरोक्त ब्यान कर रहा हूँ। जिसकी तस्दीक आज दि० 10/03/2025 को बमुकाम तहसील मिलक जिला रामपुर की गयी।

हालिफ

इन्दर खॉ पुत्र मो0 हुसैन खॉ

निवासी खाता चिन्तामन

तहसील मिलक जिला रामपुर।

मो0 नं0-9759490169

DEPONENT

हालिफ

दिनांक-

IDENTIFIED BY

Mohit Ad

10/03/2025

सलग्नक-

1-किरायानामा की छायाप्रति।

2-आधार कार्ड की छायाप्रति।

DEPONENT

हालिफ

इन्दर खॉ

S. No. 457 Date 10-03-25

Certified that Shri Indiser Khan

identified by Shri Mohit son Sailnal Ad

Sworn to/Solemnly/Declared affirmed the content of this affidavit being true

after fully understanding its contents

Mon 10-03-25 at 4:50 A/P.M

understanding its contents.

Rs. 35/-

Babu Ram Gangwar

Notary

Teh. Milak Distt. Rampur

Reg No 59/05185

संलग्नक-2

9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0-H/24/657/सी-7/वायु-2005/2024-25 दिनांक 26-2-25

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड,
ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक,
जनपद-रामपुर।
मो0-0591 2485594

यह कि मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक जनपद-रामपुर द्वारा ईंट का उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-2 (के0) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईंट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक जनपद-रामपुर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 ए के अन्तर्गत स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 ए के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने एवं ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली-2012 के मापदण्डों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक एच-07022/सी-7/वायु-2005/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि ईंट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक जनपद-रामपुर के निरीक्षण मे पाया गया ईंट भट्ठा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ही स्थापित एवं संचालन हेतु प्रयासरत है। ईंट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन पर्यावरण अनुभाग, लखनऊ की अधिसूचना सं0-921/55-पर्या/12-94(पर्या)/11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा जारी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 में निर्धारित स्थल मापदण्डों के अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईंट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड के पत्रांक एच-07022/सी-7/वायु-2005/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत उक्त ईंट भट्ठे के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते है:-

1. यह कि ईंट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक जनपद-रामपुर द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईंट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक जनपद-रामपुर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।
3. यह कि मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक जनपद-रामपुर द्वारा संचालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नही की गयी है जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है, जो कि एक दण्डनीय कृत्य है।

Record
Khursheed Khan
07/03/025
9759490169

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक जनपद-रामपुर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करना चाहें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद-रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम-खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील-मिलक जनपद-रामपुर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करना चाहें।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईंट भट्ठे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाए।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईंट भट्ठे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

AEE(SE) CA
04/03/25

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संलग्नक -3

10

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर। दिनांक 14-01-2026

पत्रांक 19 /ख0लि0-2026

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
मुरादाबाद।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 संख्या 26/2025 (आई0ए0 संख्या-39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 23/एन-13/26/25/जनरल दिनांक 06.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ओ0ए0 संख्या 26/2025 (आई0ए0 संख्या-39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य मा0 अधिकरण में विचाराधीन है तथा जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 30.01.2026 को नियत है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रश्नगत ईट-भट्ठा मैसर्स चांद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन थाना व तहसील मिलक जनपद रामपुर का कब-कब रायल्टी शुल्क जमा किया गया है तथा कब-कब अनुज्ञा पत्र निर्गत किया गया है का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ईट-भट्ठा स्वामी द्वारा भट्ठा सत्र 2022-23 से ईट भट्ठों का संचालन upmines.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है जिसके अन्तर्गत ईट-भट्ठा स्वामी द्वारा ईट-भट्ठों के पायों के आधार पर निर्धारित विनियमन शुल्क जमा कर "विनियमन शुल्क जमा का प्रमाण-पत्र" जनित किया जाता है। जिसके आधार पर ईट-भट्ठा स्वामी/मालिक द्वारा ईट पथाई के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली पलोथन मिटटी का परिवहन किया जाता है। भट्ठा सत्र 2022-23 से पूर्व ऑफलाईन चालान के माध्यम से ईट-भट्ठों का रॉयल्टी/विनियमन शुल्क जमा कर भट्ठों का संचालन किया गया।

कार्यालय अभिलेखानुसार ईट-भट्ठा मैसर्स चांद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन थाना व तहसील मिलक जनपद रामपुर द्वारा जमा किये गये विनियमन शुल्क व पलोथन शुल्क का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	ईट-भट्ठा सत्र	पायों की संख्या	साधारण/जिक जैक	विनियमन शुल्क	जमा का चालान संख्या व दिनांक
1	2015-16	21	साधारण	1,89,758/-	चालान संख्या-20045 दिनांक 26.02.2016, चालान संख्या-20046 दिनांक 26.02.2016
2	2016-17	21	साधारण	-	-
3	2017-18	21	साधारण	1,74,368/-	चालान संख्या-02 दिनांक 12.02.2018
4	2018-19	21	साधारण	1,55,900/-	चालान संख्या-32 दिनांक 30.03.2019
5	2019-20	21	साधारण	1,71,290/-	चालान संख्या-71 दिनांक 25.11.2019, चालान संख्या-23 दिनांक 07.01.2020
6	2020-21	21	साधारण	1,71,290/-	चालान संख्या-14 दिनांक 17.10.2020
7	2021-22	21	साधारण	1,71,290/-	चालान संख्या-07 दिनांक 09.11.2021
8	2022-23	-	-	-	-
9	2023-24	-	-	-	-
10	2024-25	-	-	-	-
11	2025-26	-	-	-	-

सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/01/2026

खान अधिकारी,
रामपुर।